जस्ट्री सं० डी (डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 269] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 5, 1974/कार्तिक 14, 1896

No. 269] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 5, 1974/KARTIKA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th November, 1974

SUBJECT.—*Special facilities for Indian returning from/residing abroad.*

No. 169-ITC(PN)/74.—Attention is invited to Appendix 75-C of the ITC Policy Red Book (Vol. I) for the period April, 1974—March, 1975, containing the list of manufacturing operations in respect of which the concession to allow import of machinery upto c.i.f. value of Rs. 25 lakhs by Indians returning from/residing abroad will not be applicable.

2. Manufacturing operations covered by Sl. No. 2 in the Appendix referred to in para 1 above shall be amended to read as follows:

"Textiles falling under the heading '23. Textiles including those dyed, printed or otherwise processed) manufactured, produced or processed on power-loom' or those manufactured, produced or processed by other processes."

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1974

विषय.—विदेश से लौटने वाले/विदेश में रहने वाले भारतियों के लिए विशेष सुविधाएं

सं० 169 आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेडबुक (खं० 1) के परिशिष्ट 75—सी की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें उन विनिर्माणकर्त्ता प्रचालनों की सूची निहित है जिनके सम्बन्ध में विदेशों से लौटने वाले/विदेशों में रहने वाले भारतियों द्वारा 25 लाख रुपये लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य तक की मशीनरी के आयात की अनुमति देने के लिए रिआयत लागू नहीं होगी।

2. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित परिशिष्ट में क्रम सं० 2 में सम्मिलित विनिर्माणकर्त्ता प्रचालन निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित किए जाएंगे :—

> "शीर्षक 23 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्र, शक्ति चालित कर्घा पर विनिर्मित, उत्पादित या संसाधित वस्त्र (रंगे हुए, छपे हुए या अन्य प्रकार से संसाधित वस्त्रों सहित), या अन्य प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित, उत्पादित या संसाधित वस्त्र।"

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974